न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 54/2018 **दायर दिनांकः 29.10.2018**

उनवान

1. इस्हाक अहमद आयु 60 वर्ष पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. रईस मोहम्मद आयु 45 वर्ष पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान।
2. इमरान आयु 29 वर्ष पुत्र अनवर जाति मुसलमान।
3. आरिफ आयु 24 वर्ष पुत्र अनवर जाति मुसलमान निवासीगण काचरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थियाः— विद्वान अभिभाषक श्री मनजीत सिंह।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

आदेश दिनांक 25.03.2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थी के पिता नूर मोहम्मद पुत्र चांद खां जाति मुसलमान निवासी काचरी तहसील अटरू जिला बारां के खाते की आराजी वाके ग्राम एवं माल काचरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 47 की कुल 1 किता की 0.10 है0 एवं खाता संख्या 46 की कुल 7 किता की 4.55 है0 एवं वाके माल आटोन तहसील अटरू में खाता संख्या 289 की कुल 7 किता की 4.39 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थी के पिता नूर मोहम्मद के तीन पुत्र है जिसमें प्रार्थी स्वयं इश्हाक मोहम्मद, एवं रईस मोहम्मद व अनवर एवं तीन पुत्रियां रहीशा, बेगम, नफीसा, अनिसा बेगम है। जिसमें से एक पुत्र अनवर की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान इमरान पुत्र आरिफ पुत्र व अमीना बेग पुत्री है। अप्रार्थीगण ने ग्राम काचरी एवं ग्राम आटोन की खाता संख्या 46, 47, 289 की प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को दिनांक 24.07.2018 को प्रार्थी के पिता नूर मोहम्मद जो कि 96 वर्ष के है उन्हे दबाव में लेकर धमकी देकर बरगलाकर दानपत्र लिखवा लिया। जिसका पंजीयन अटरू में पंजीयन कार्यालय में करवा लिया। और

अप्रार्थीगण ने नूर मोहम्मद की आयु का फायदा उठाकर उनको गुमराज करके इंतकाल खुलवा लिया एवं उक्त आराजी में अपना नाम खाते दर्ज करवा लिया। जिसके आधार पर वे उक्त आराजी को रहन बैचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जबकि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित सम्पत्ति खातेदार नूर मोहम्मद को विरासत मे मिली है। जिसमें सभी लडके लडकियों का 1/7 हिस्सा बनता है। जिसकी नूर मोहम्मद को बेचान करने अथवा दान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। परन्तु उनकी आयु अधिक होने से उन्हें बहकावें में लेकर अप्रार्थीगण ने अपने पक्ष में दानपत्र निष्पादित करवाकर उसका पंजीयन अपने पक्ष में करवाकर इंतकाल खुलवाकर आराजी अपने नाम खाते दर्ज करवा ली। जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। क्योंकि पैतृक आराजी का दान नही हो सकता। अब चूंकि अप्रार्थीगण ने दानपत्र के आधार पर इंतकाल खुलवाकर आराजी अपने नाम खाते दर्ज करवा ली है। जिसके आधार पर वे आराजी को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी जब अपने हिस्से की आराजी को हांकने गया तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी कोई जमीन नहीं है। यह जमीन हमारी है और लडाई झगड़ा करने पर आमादा हुये। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य को रोका जाना सम्भव नही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा आराजी को रहम बैचान कर खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी में प्राप्त चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। जिससे अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी। अस्तु प्रार्थी अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद जर्ये अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। वे वादी के हिस्से की आराजी हिस्सा 1/7 तक को कहीं रहन बेचान अथवा खुर्द बुर्द नही करें। प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैलावाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को कहीं रहन बेचान अथवा खुर्द बुर्द नहीं करें। प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त करने देवें जिसमें किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई, अप्रार्थीगण क्रम 1 ल 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वाद पेश करना स्वीकार है, शेष विवरण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद ंन0 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 जिस प्रकार लिखी गई है, स्वीकार नहीं है। अपितु कथन है कि खातेदार नुरमोहम्मद ने अप्रार्थी क्रम 1,2,3 के पक्ष में

अपनी स्वेच्छा से ही दानपत्र रजिस्टर्ड करवाया है। जिसकी पूर्ण जानकारी स्वयं खातेदार नुरमोहम्मद को है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी का दानपत्र नुर मोहम्मद ने स्वयं तहसील में उपस्थित होकर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 , 3 के पक्ष में दानपत्र रजिस्टर्ड करवाया है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। विशेष विवरण आपतियों में दर्ज है। अनुतोष प्रार्थी अस्वीकार है।

: : विशेष आपत्तियां : :

मुस्लिम विधि के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति के जीवनकाल में उसकी चल व अचल सम्पत्ति में कोई भी वारिसान बंटवारा नहीं करवा सकता क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति के जीवनकाल तक उसका कोई उत्तराधिकारी उसकी सम्पत्ति में चाहे वह किसी भी प्रकार से प्राप्त हुई हो उसमें किसी भी वारिसान का अंश या भाग नियत नही होता है। तथा मुस्लिम व्यक्ति को अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति व आराजी को किसी प्रकार से दान बैचान रहन खुर्द बुर्द करने का पूर्ण अधिकार होता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी को नुरमोहम्मद ने ख0नं0 501 का रकबा 9 बीघा 1 बीस्वा ख0नं0 504 कारकबा 8 बीघा 11 बीस्वा ख0नं0 489/1124 का रकबा 4 बीघा 9 बीस्वा कुल किता 3 का रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा आराजी को प्रार्थी के नाबालिक अवस्था में ही खरीद कर खाते नाम दर्ज करवा दी थी जब उक्त आराजी खरीद की गई थी तब प्रार्थी नाबालिक था इसलिये नुरमोहम्मद द्वारा अपने पुत्र व पौत्र को अपने जीवनकाल में ही आराजी खाते दर्ज करवा दी गई है। क्योंकि प्रार्थी के पूर्व में ही नुरमोहम्मद द्वारा कुल किता 3 का रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा आराजी पूर्व में ही नाम दर्ज करवा दी थी इसलिऐ शेष आराजी प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को अपने पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 रईस मोहम्मद व पुत्र मृतक अनवर के पुत्रों अप्रार्थी क्रम 2, 3 ईमरान व आरिफ को नुरमोहम्मद ने अपनी स्वैच्छा से आराजी का दान पत्र रजिस्टर्ड करवा दिया गया है। वाके ग्राम व माल काचरी खाता सं0 46 की कुल किता 7 का रकबा 4.55 है0 आराजी में नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 05.09.2018 को दानपत्र के आधार पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2, 3 का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में खातेदार दर्ज हो चुका है। तथा वाके ग्राम आटोन की खाता संख्या 289 की कुल किता 7 का रकबा 4.41 है0 पर नामान्तकरण संख्या 1658 दिनांक 04.08.2018 मे अप्रार्थीक्रम 1 व 2, 3 का नाम दानपत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में नाम दर्ज हो चुका है। नुरमोहम्मद द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 व 2, 3 के पक्ष में कराया गया रजिस्टर्ड दानपत्र जब तक सक्षम न्यायालय से प्रभाव शून्य घोषित नही हो जाता है। तब तक दानपत्र वेध व प्रभावी रहेगा इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी पर पारिवारिक बंटवारे के समय से ही अप्रार्थी क्रम 1 व 2,3 का कब्जा चला आ रहा है। और बंटवारे के अनुसार ही नुर मोहम्मद ने ही अपनी स्वेच्छा से दान पत्र करवाया है। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हो तथा प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। तथा प्रार्थी को माननीय नयायालय द्वारा पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को अप्रार्थी क्रम 1 व 2, 3 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें। ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया तथा वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को कही रहन बैचान खुर्द बुर्द न करने व अपने हिस्से की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त करने हेतु मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार कथन किया तथा शपथ पत्र नुरमोहम्मद का पेश किया जिसके अनुसार बडे पुत्र इस्हाक मोहम्मद बल्द नुर मोहम्मद को ग्राम आटोन के माल की खाता सं0 28 की ख0नं0 713, 753, 759 कुल किता 3 को 3.73 है0 भूमि स्वयं की रकम से खरीद कर सभी पुत्रों की सहमति से इस्हाक मोहम्मद के नाम रजिस्ट्री करवाई थी मेरे तीन पुत्र इस्हाक, रईस मोहम्मद व अनवर है, अनवर की मृत्यु हो गई है। इसलिए मैने मेरे सामने ही परिवारिक बंटवारा करके सब पुत्रों के समान जमीन करने के लिए मेरे स्वयं के खाते की ग्राम काचरी की खाता सं0 47 एवं ग्राम आटोन की खाता संख्या 289 की 4.55 एवं 4.39 कुल 8.94 है0 भूमि का दान मेरी इच्छा अनुसार तहसील में जाकर मेने मेरे पुत्र रईस मोहम्मद एवं अनवर के वारिसायान के नाम खाते दर्ज करवा दी जिससे तीनों भाईयों के बराबर जमीन हो गई, तथा फर्द दस्तावेज के साथ रिकार्ड पेश किया तथा निवेदन किया कि इस्हाक प्रार्थी को पूर्व में ही जमीन खरीद कर उसके खाते दर्ज करवा दी गई थी। मुस्लिम उत्तराधिकार कानून की प्रति पेश की गई, जिसके अनुसार कथन किया गया कि किसी मुस्लिम के पुत्र का उसके पिता के पैतृक सम्पत्ति में जन्म से कोई अधिकार नही होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। दौनों पक्षों की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, मुस्लिम उत्तराधिकार विधि की धारा 25 यह कहती है कि पिता की सम्पत्ति में पुत्र पैदा होते ही उसके अधिकार उत्पन्न नही होते है, जबकि इस कानून के मुताबिक पिता की मृत्यु के बाद सम्पत्ति पर उसके वारिसान के अधिकार स्वतः ही उत्पन्न हो जाते है। धारा 26 के मुताबिक पुत्र जन्म से पैतृिक सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां